



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022022-233231
CG-DL-E-08022022-233231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2022/माघ 19, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022/ MAGHA 19, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2022

सा.का.नि.101(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की हो; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	4* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (रुपए 67700-208700)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति द्वारा: सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रुपये) में जिन्होंने श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये) में सात वर्ष की नियमित सेवा सहित; और</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष; 2. कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग निदेशालय, रेलवे बोर्ड-सदस्य; 3. कार्यपालक निदेशक, प्रबंध सेवाएं या स्थापना निदेशालय, रेलवे बोर्ड-सदस्य। <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी-सदस्य; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी-सदस्य; 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए जाने वाले किसी विभाग (उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 पर सूचीबद्ध किए गए अधिकारियों के विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी-सदस्य 	प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

	<p>(ख) नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों :</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शिक्षण संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शिक्षण संस्थान के अधीन पुस्तकालय में कम्प्यूटर पुस्तकालय गतिविधियों का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित वरिष्ठतम अधिकारी विभागीय पुष्टिकरण समिति के अध्यक्ष होंगे।</p>	
--	---	--	--

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	6* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति द्वारा: पुस्तकालय और सूचना सहायक समूह 'ग' वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400रु.) में जिन्होंने श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <p>(i) कार्मिक विभाग के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य;</p> <p>(ii) लेखा विभाग के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य;</p> <p>(iii) उपरोक्त क्र.सं. (i) और (ii) पर सूचीबद्ध किए गए अधिकारियों के विभागों से भिन्न किसी</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

		<p>जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में 5 वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष; और</p> <p>(क) नीचे दिए गए अनुसार शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो :</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शिक्षण संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>विभाग के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य।</p> <p>टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित वरिष्ठतम अधिकारी विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष होंगे।</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :-</p> <p>(i) कार्मिक विभाग के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य;</p> <p>(ii) लेखा विभाग के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य;</p> <p>(iii) उपरोक्त क्र.सं. (i) और (ii) पर सूचीबद्ध किए गए अधिकारियों के विभागों से भिन्न किसी विभाग के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य।</p> <p>टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित वरिष्ठतम अधिकारी विभागीय पुष्टिकरण समिति के अध्यक्ष होंगे।</p>
--	--	---	--

		<p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	---	--	--

[फा. सं. 2005/ई(जीआर)/I/15/4/आरआर/खंड-I]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव (गोपनीय)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATIONNew Delhi, the 7th February, 2022

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Research Designs and Standards Organisation (Group 'A' and Group 'B') Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer of Indian Railways, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Indian Railways Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in columns(1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward class,

Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Library and Information Officer.	4* (2022) * Subject to variation dependent on workload	Railway Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level- 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p>By promotion:</p> <p>Assistant Library and Information Officer in Level 7(Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the grade possessing Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute and have also successfully completed training of four weeks in the field of Library and Library Science from a recognised institute or as prescribed by the Ministry of Railways from time-to-time.</p> <p>Note- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; Executive Director of Pay Commission Directorate, Railway Board – Member; Executive Director of Management Services or Establishment Directorate, Railway Board – Member. <p>Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Higher Administrative Grade or Senior 	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making promotion.

	<p>have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central or State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with seven years' regular service in level 7(Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed as under:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Five years professional experience in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) One year experience of computerising library activities in a library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or University or recognised research or educational Institution.</p> <p>(ii) At least one year diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Administrative Grade level officer of concerned Zonal Railway or Production Unit -Member;</p> <p>2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit -Member;</p> <p>3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than Departments represented by officers listed at Serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit- Member.</p> <p>Note: The senior most officer as determined by the Competent Authority will be the Chairman of Departmental Confirmation Committee.</p>	
--	---	--	--

Name of post.	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Assistant Library and Information Officer.	6* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-ministerial.	Level- 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix	Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By promotion, failing which by deputation.	<p>By promotion:</p> <p>Library and Information Assistant Group 'C', Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute and having successfully completed training of four weeks in the field of Library and Library Science from a recognised institute or as prescribed by the Ministry of Railways from time to time.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central or State Government or Union territories :</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(i) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of Personnel Department – Member;</p> <p>(ii) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of Accounts Department- Member;</p> <p>(iii) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of any Department other than the Departments listed at Serial number (i) and (ii) above- Member.</p> <p>Note: Senior most officer as determined by</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed as under:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Two years' professional experience in a library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research or educational Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Master's Degree in Library Science or Library and information Science of a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>the Competent Authority will be Chairman of Departmental Promotion Committee.</p> <p>Group 'B', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(i) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of Personnel Department-Member;</p> <p>(ii) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of Accounts Department-Member;</p> <p>(iii) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of any Department other than the Departments listed at serial number (i) and (ii) above-Member.</p> <p>Note: Senior most officer as determined by the Competent Authority will be Chairman of Departmental Confirmation Committee.</p>	
--	--	---	---	--

[F. No. 2005/E(GR)/15/4/RR/Vol.I]

NAVIN KUMAR, Jt. Secy. (Confidential)